भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



असाधारण

EXTRAORDINARY प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 101] दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2017/ फाल्गुन 24, 1938 [No. 101] DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2017/PHALGUNA 24, 1938

[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 413

[N.C.T.D. No. 413

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

राज्य चुनाव आयोग

आदेश

दिल्ली. 14 मार्च. 2017

सं. एफ. 4(216)/ओएसडीआई/विधि/रा.चु.आ./2017/7887.—जैसाकि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित की धारा 7 में प्रावधान हैं, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के तीनों नगर निगमों जैसे उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के चुनावों का अधीक्षण, निदेश एवं नियंत्रण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, के राज्य चुनाव आयुक्त के अधिकार में है।

तथा जैसाकि राजनैतिक दलों (राष्ट्रीय एवं राज्य) द्वारा नामित एवं स्वतंत्र चुनावी प्रत्याशियों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली व पूर्वी दिल्ली के चुनावों हेतु चुनाव चिन्ह चुनने एवं आबंटन करने का प्रावधान करना आवश्यक है।

अब, इसलिए, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957, दिल्ली नगर निगम (संशोधन अधिनियम, 2011) द्वारा संशोधित (इसके आगे 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 7 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 15 के साथ पठित (इसके आगे 'नियमों' के रूप में संदर्भित) तथा इस संबंध में अन्य सभी प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस चुनाव आयोग की पूर्व सभी अधिसूचनाओं का अतिक्रमण करते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली राज्य क्षेत्र के राज्य चुनाव आयुक्त निम्न आदेश जारी करते हैं:—

1. सक्षिप्त शीर्शक, प्रयुक्ति एवं जारी करना :--

यह आदेश "दिल्ली नगर निगमों के चुनावों हेतु चिन्ह (आरक्षण एवं आबंटन) आदेश, 2017" कहे जाएंगे। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दिक्षणी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली क्षेत्रों में विस्तारित होता है तथा अब से आगे होने वाले दिल्ली के उपरोक्त तीनों नगर निगमों के चुनावों के लिए लागू होता है।

1394 DG/2017 (1)

यह आदेश राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तत्काल लागू हो जाएगा।

2. परिभाषा एवं अर्थ व्याख्या :--

- (क) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस आदेश में शब्द 'आयोग' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली का चुनाव आयोग होगा।
- (ख) "दिल्ली का एक नगर निगम" का अर्थ होगा दिल्ली के तीनों नगर निगमों उत्तरी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली एवं पूर्वी दिल्ली में कोई भी एक।
- (ग) 'वार्ड' का अर्थ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किसी एक नगर निगम का वार्ड है।
- (घ) 'राष्ट्रीय दल' का अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29—ए के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त ऐसा दल जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित चुनाव चिन्ह आबंटित किया गया है।
- (ङ) 'दिल्ली राज्य दल' का अर्थ है वह राज्य दल जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त है।
- (च) दूसरे 'राज्य दल' का अर्थ जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29—ए के अन्तर्गत राज्य अथवा राज्यों में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त वह दल जिसके लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों हेतु आरक्षित चुनाव चिन्ह आबंटित किया गया है।
- (छ) 'अधिनियम' का अर्थ दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 जो दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अधिनियम, 2011 द्वारा संशोधित किया गया है।
- (ज) 'नियमों' का अर्थ ''दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियम, 2012'' है।

3. राष्ट्रीय एवं राज्य दलों को मान्यता :--

- (क) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29—ए के अन्तर्गत तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से लोक सभा तथा विधान सभा के चुनावों हेतु जो राष्ट्रीय दलों को मान्यता प्रदान की गई है तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह आदेश संख्या 56/2016/पीपीएस—III, दिनांक 13.12.2016 तथा भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना सं0 56/2017/पीपीएस—III, दिनांक 11.1.2017 द्वारा संशोधित किया गया है के अनुसार आयोग एतद्द्वारा इसके पश्चात् होने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के तीनों नगर निगमों के चुनावों हेतु उसी रूप में उन्हें मान्यता प्रदान करता है।
- (ख) इस आयोग ने राष्ट्रीय दलों के लिए उन्हीं चुनाव चिन्हों को अपनाया है, जिन्हें भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों के लिए आरक्षित किया है और न कि किसी अन्य चिन्ह को।
- (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली से लोक सभा व विधान सभा के चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय दलों व अन्य प्रत्याशियों (स्वतंत्र) सहित के लिए चिन्हों का जो प्रतिरूप (आकार और रूप) निर्धारित किया है उन्हें यह आयोग भी दिल्ली के उपरोक्त तीनों नगर निगमों के आगामी व उससे आगे होने वाले चुनावों के लिए उसी रूप और आकार में अपनाता है और निर्धारित करता है। (ऐसे राष्ट्रीय दलों के नाम व निर्धारित चिन्हों की सूची का विवरण क्रमशः अनुसूची— I में संलग्न सारणी I में दर्शाया गया है)।
- (घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी को दिल्ली राज्य दल की मान्यता प्रदान की है तथा ''झाडू'' चुनाव चिन्ह का आबंटन किया है।
- (ङ) अन्य प्रत्याशियों (स्वतंत्र) द्वारा चयन करने के लिए स्वतंत्र चिन्हों की सूची भी उपरोक्त अनुसूची I की सारणी III में दर्शायी गई है।

4. राष्ट्रीय और राज्य दलों के प्रत्याशियों द्वारा चुनाव चिन्ह का चयन और उनका आबंटन :--

- (क) दिल्ली के किसी एक नगर निगम के चुनाव लड़ रहे प्रत्येक प्रत्याशी का नियमावली में दिए गए प्रावधानों तथा उपरोक्त आदेश तथा इस संबंध में आयोग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देशों के अनुसार चुनाव चिन्ह आबंटित किया जाएगा।
- (ख) राष्ट्रीय दल द्वारा दिल्ली के किसी नगर निगम के वार्ड के चुनाव के लिए नामित किया गया प्रत्याशी उसी चुनाव चिन्ह का चयन करेगा और वही चिन्ह उसे आबंटित किया जाएगा जो उस दल के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आरक्षित है, न कि कोई अन्य चिन्ह।
- (ग) यदि दिल्ली के किसी एक निगम के किसी वार्ड के चुनाव के लिए कोई प्रत्याशी ऐसे राज्य दल द्वारा नामित किया जाता है जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यताप्राप्त नहीं है और वह ऐसे चुनाव चिन्ह का इच्छुक है अथवा चयन करना चाहता है जो उस दल के लिए उस राज्य या राज्यों में आरक्षित है जहां वह दल मान्यताप्राप्त राज्य दल है (अनुसूची I में सारणी II देखें) तो अन्य प्रत्याशियों को छोड़कर वह चिन्ह केवल उस प्रत्याशी को निम्न शर्तों को पूरा करने पर आबंटित कर दिया जाएगा।
 - (i) दिल्ली नगर निगमों के चुनावों के लिए ऐस राज्य दल द्वारा उनके नामित अभ्यर्थी को उसी दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह को आबंटन करने के लिए उस दल द्वारा आयोग को चुनाव का आह्वान करने हेतु राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तिथि के तीन दिन के अन्दर आयोग में आवेदन करना होगा।
 - (ii) उक्त अभ्यर्थी ने अपन नामांकन पत्र में यह घोषणा की है कि वह दिल्ली के एक नगर निगम के वार्ड के चुनाव हेतु उस दल द्वारा खड़ा किया गया है तथा दल ने इस आदेश के पैरा 5 के खंड (ख) (ग) (घ) तथा (ङ) की अपेक्षाओं को भी पूरा कर लिया है।
 - (iii) आयोग की राय में ऐसे आबंटन के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए उचित आधार नहीं है।
 - (iv) यदि भारत निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार एक ही समान 'आरक्षित' चिन्ह को एक से अधिक राज्य दलों के प्रत्याशी उसी 'आरक्षित' चिन्ह का चुनाव करते हैं उस स्थिति में लॉटरी द्वारा राज्य दल के उम्मीदवार को आरक्षित चिन्ह आबंटित किया जाएगा तथा किसी अन्य पद्धित द्वारा नहीं। शेष समस्त या कोई भी राज्य दल जिसका उम्मीदवार उपरोक्तानुसार स्पष्ट की गई पद्धित के अनुरूप 'आरक्षित चिन्ह' प्राप्त नहीं करता तो उसे निर्दलीय उम्मीदवारों से ऊपर प्राथमिकता देकर निर्वाचन अधिकारी 'स्वतंत्र चुनाव चिन्ह' आबंटित करेगा।
 - (v) राष्ट्रीय पार्टी तथा दिल्ली राज्य की मान्यताप्राप्त पार्टी के अभ्यर्थियों को नामांकन पत्र में एक प्रस्तावक से फाईल करना होगा तथा उनके लिए चुनाव चिन्ह की पसंद जो उनके नामांकन पत्र में भरी गई है वह भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस दल के लिए किए गए आरक्षण तक ही प्रतिबन्धित होगी।
 - (vi) राज्य दलों (दिल्ली राज्य दल को छोड़ कर) द्वारा नामित अभ्यर्थियों को अपने नामांकन पत्रों में दस (10) प्रस्तावक लेने होंगे और उनकी चुनाव चिन्ह की पसंद जो उनके नामांकन पत्र में दर्शाई गई हो, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उस राज्य या राज्यों में मान्यताप्राप्त उस दल के लिए आरक्षित चुनाव चिन्ह तक सीमित होगी।
- (घ) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पंजीकृत अमान्य राजनैतिक दलों के उम्मीदवारों को सभी प्रयोजनों के लिए वांछित प्रस्तावकों की संख्या तथा चुनाव चिन्हों के आबंटन हेतु स्वतंत्र उम्मीदवार ही समझा जाएगा। चुनाव चिन्हों के आबंटन हेतु ऐसे उम्मीदवारों को अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों के ऊपर कोई प्राथमिकता नहीं दी जाएगी

अथवा दिल्ली के किसी भी नगर निगम में उपरोक्त दल के सभी प्रत्याशियों को केवल एक ही चुनाव चिन्ह आबंटन हेतु कोई प्राथमिकता प्रदान नहीं की जाएगी।

- (ङ) (i) दिल्ली के किसी नगर निगम के वार्ड के चुनाव हेतु राष्ट्रीय व दिल्ली राज्य दल अथवा अन्य राज्यों के राजनैतिक दल के प्रत्याशियों को छोड़कर अन्य प्रत्याशी उस संदर्भ में बनाए गए इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार इनमें से एक स्वतंत्र चिन्ह को चुनेगा व वह चिन्ह इसी आदेश में दिए प्रावधानों के अनुसार 'स्वतंत्र' चिन्हों में से एक चिन्ह उसे आबंटित कर दिया जाएगा।
 - (ii) प्रत्येक प्रत्याशी को एक पृथक चुनाव चिन्ह, जैसा कि प्राथमिकता के आधार पर उसके नामांकन पत्र में उल्लिखित होगा, जहां तक संभव हो उसी की नामांकन पत्र में दी गई प्राथमिकताओं के आधार पर प्रदान कर दिया जाएगा;
 - (iii) यदि एक से अधिक ऐसे प्रत्याशियों ने उसी चुनाव चिन्ह को प्राथमिकता दी है, तो रिटर्निंग अधिकारी लॉटरी द्वारा निर्णय लेगा कि वह चुनाव चिन्ह किस प्रत्याशी को दिया जाए ;
 - (iv) दूसरे प्रत्याशी जो ऊपर (ii) या (iii) में निहित प्रावधानों में नहीं आते उनको बचे हुए स्वतंत्र चुनाव चिन्हों में से जहां तक संभव हो सके, उसकी इच्छानुसार एक चुनाव चिन्ह प्रदान कर दिया जाएगा : यदि फिर भी कोई प्रत्याशी अपने प्रथम नामांकन पत्र में दी गई चुनाव चिन्हों की तीन प्राथमिकताओं के आधार पर ही चिन्ह लेने का हठ करता है तथा वह इस वार्ड में बचे चिन्हों में से कोई और चिन्ह लेने की कोई इच्छा व्यक्त करने के लिए मना करता है तो रिटर्निंग अधिकारी शेष बचे " स्वतंत्र चुनाव चिन्हों" में से एक चिन्ह उसे आबंटित कर देगा तथा उसका इस संदर्भ में यह निर्णय अन्तिम निर्णय होगा जब तक कि रिटर्निंग अधिकारी का ये कार्य उपरोक्त निर्देशों के प्रतिकृल न हो।

5. राष्ट्रीय एवं राज्य दलों द्वारा चुनाव चिन्ह आबंटन हेतु अधिकृत करना :--

- (क) इस आदेश के उद्देश्य हेतु एक प्रत्याशी को मान्यताप्राप्त राजनैतिक दल द्वारा तभी तथा केवल तभी नामित करना माना जाएगा जबकि उस प्रत्याशी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में इस निमित्त घोषणा कर दी गई है।
- (ख) प्रत्याशी अथवा एवजी प्रत्याशी द्वारा भरे गए नामांकन पत्र में उसने केवल उसके दल के लिए 'आरक्षित' चुनाव चिन्ह का ही चयन किया है और किसी अन्य चुनाव चिन्ह का नहीं।
- (ग) नामांकन भरने की अन्तिम तिथि को सायं 3.00 बजे तक उस वार्ड के रिटर्निंग अधिकारी को जहां से प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव आयोग को भी सम्बन्धित दल द्वारा फार्म 'बी' में लिखित नोटिस दिया। प्राप्त करवा दिया जाएगा।
- (घ) उपरोक्त नोटिस फार्म 'ए' में प्राधिकृत व्यक्ति, दल के अध्यक्ष अथवा सचिव द्वारा स्याही से हस्ताक्षरित हो, मोहर या छाप द्वारा किए गए हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे। इन प्रपत्रों, प्रपत्र 'ए' तथा प्रपत्र 'बी' की फैक्स, फोटो स्टेट, साइक्लोस्टाइल प्रति भी स्वीकार होगी यदि वह राष्ट्रीय/राज्य राजनैतिक दल के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही से/बाल पेन से हस्ताक्षरित होगी।
- (ङ) ऐसे प्राधिकृत व्यक्ति का नाम व हस्ताक्षर का नमूना फार्म 'बी' में भरकर नामांकन देने की अन्तिम तिथि को सायं 3.00 बजे तक वार्ड के रिटर्निंग अधिकारी व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के चुनाव आयोग को सूचित कर दिया गया हो।
- (च) प्रपत्र 'बी' में की गई प्रथम प्राधिकृतता के पश्चात् राष्ट्रीय अथवा राज्य राजनैतिक दल की ऐसी सूचना जिसमें प्रथम प्राधिकृतता को निरस्त अथवा परिवर्तित कर दिया गया हो, संबंधित रिटर्निंग अधिकारी व राज्य चुनाव

आयोग को भेज देनी चाहिए जो कि आयोग / संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को नामांकन भरने की अन्तिम तिथि को सायं 3.00 बजे तक प्राप्त हो जाए। प्रपत्र 'बी' में ऐसी बाद में की गई प्राधिकृतता, प्राधिकृत कार्यालय—अधिकारी जिसका नाम प्रपत्र 'ए' में पहले भेजा जा चुका है, द्वारा ही हस्ताक्षर की गई हो, तथा इसमें कोई संशय न हो और यह पूर्णतया स्पष्ट हो, कि या तो वह पूर्व प्राधिकृतता को निरस्त करता है या परिवर्तित करता है जैसा भी मामला हो।

- (छ) यदि उसी राजनैतिक दल से एक ही वार्ड में या दो से अधिक प्रत्याशियों के लिए प्रपन्न 'बी' में सूचना रिटिर्निंग अधिकारी व आयोग को प्राप्त होती है तथा वह राजनैतिक दल प्रपन्न 'बी' में यह बताने / दर्शाने में असफल हो जाता है कि इन सूचनाओं में से पूर्व भेजी गई सूचनाओं को निरस्त अथवा अतिक्रमण कर दिया है, तो रिटर्निंग अधिकारी केवल उस प्रत्याशी के प्रपन्न 'बी' को स्वीकार करेगा जिसका नामांकन पन्न उसे पहले प्राप्त हुआ हो तथा शेष प्रत्याशियों, जिनके लिए भी प्रपन्न 'बी' उसे प्राप्त हो गए हों, को ऐसे राजनैतिक दल के प्रस्ताविक प्रत्याशी नहीं माना जाएगा तथा उनके नामांकन पन्न भी अस्वीकार कर दिए जाएंगे।
- (ज) फार्म 'ए' व 'बी', जैसा उपयुक्त हो इस आदेश की अनुसूची—II में निर्धारित है।
- 6. आयोग की अनुदेश व निर्देश जारी करने की शक्तियां :--

आयोग अनुदेश व निर्देश जारी कर सकता है :-

- (क) इस आदेश के किसी भी प्रावधान के संबंध में स्पष्टीकरण हेतु।
- (ख) इस प्रकार के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में उत्पन्न होने वाली किसी समस्या व संशय के समाधान हेतु, तथा
- (ग) चुनाव चिन्हों के आरक्षण एवं आबंटन हेतु तथा राजनैतिक दलों की मान्यता से संबंधित किसी मामले के संबंध में जिसके लिए इस आदेश में कोई प्रावधान नहीं है अथवा अपर्याप्त प्रावधान है तथा आयोग के मतानुसार सुचारू रूप से चुनाव कराए जाने के लिए प्रावधान किया जाना आवश्यक है।

ह_

एस. के. श्रीवास्तव, राज्य चुनाव आयुक्त

अनुसूची–II प्रपत्र– 'ए'

प्रत्याशियों के नामों की सचूना हेतु अधिकृत व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली सूचना

(चुनाव आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा आदेश 2012, चुनाव चिन्ह (आरक्षण व आबंटन) अनुच्छेद 5 देखें।) राज्य चुनाव आयोग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली-110006

सेवा में,

चुनाव आयुक्त
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली,
निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

2. रिटर्निंग अधिकारी, वार्ड का नं0 व नाम...... उत्तरी / दक्षिणी / पूर्वी दिल्ली नगर निगम।

निगम वार्ड का नाम व सं. जिसके लिए अधिकृत किया गया

विषय : दिल्ली नगर निगम के चुनाव-चुनाव चिन्हों का आबंटन, प्रत्याशियों के नामों की सूचना देने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति।

महोदय,

सूचना देने हेतू अधिकृत व्यक्ति

दिल्ली नगर निगम (पार्षदों के चुनाव) नियमावली, 2012 के नियम 15 के अनुसार मैं एतद्द्वारा सूचित करता हूँ कि उपरोक्त चुनाव हेतु चुनाव में खड़े किए गए प्रस्तावित प्रत्याशियों की सूचना के लिए निम्नलिखित व्यक्ति/व्यक्तियों का राष्ट्रीय/प्रादेशिक राजनैतिक दल द्वारा अधिकृत किया गया है कि वे दल द्वारा प्रस्तावित प्रत्याशियों के नाम उपरोक्त चुनावों के लिए भेज सकें।

पार्टी के कार्यालय का नाम

ı)		(2)	(3)
3.	अधिकृत किए गए उपरोक्त	व्यक्ति / व्यक्तियों के हस्ताक्षर के नमूने, नी	चे दिए गए है :
	(i)	के हस्त	
	2.	के हस्त	गक्षर के नमूने।
	(iii) 3.	के हस्त	 १क्षर के नमूने।
	` '		
	स्थान :		
	दिनांक :		भवदीय
			अध्यक्ष / सचिव दल का नाम (दल की मोहर)

प्रपत्र- 'बी'

राजनैतिक दलों द्वारा नामित प्रत्याशियों के नामों के संबंध में नोटिस राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के तीनों निगमों के चुनाव, 2012 (चुनाव आयोग द्वारा जारी चुनाव चिन्ह (आरक्षण व आबंटन) अनुच्छेद क्रमांक 5 को देखें।)

> राज्य चुनाव आयोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली–110006

सेवा में.

- राज्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, निगम भवन, कश्मीरी गेट, दिल्ली—110006.
- 2. रिटर्निंग अधिकारी
- 3. वार्ड का नं0 व नाम.....
- 4. उत्तरी / दक्षिणी / पूर्वी दिल्ली नगर निगम

विषय : दिल्ली नगर निगम के चुनाव, 2017...... प्रत्याशियों को नामित करना । महोदय,

1.	दिल्ली	नगर	निगम	(पार्षदों	के चु	नाव) नि	नेयम,	2012	के निय	ाम 15	के अन्	पुपालन	में, मैं					
एतद्द्वा	रा					दल	की	ओर च	ने निम्न	व्यक्ति	ायों को	जो	कालम	2 7	नथा ₄	1 में	उल्लिबि	ख़त हैं,
उत्तरी /	′दक्षिणी /	पूर्वी वि	ल्ली न	गर निग	ाम के	आगार्म	नी चुन	नाव में	इस दल	के प्र	त्याशी व	के रूप	ा में ना	मित व	करने	की र	सूचना दे	ता हूँ।
जिस व	ार्ड से इन	प्रत्यार्ग	शेयों क	जे नामित	ा किय	ा जा र	हा है,	, उसर्क	सूचना	इन प्र	त्याशियो	ां के न	ाम के	सामने	ादी ग	ाई है	· :	

2. वह व्यक्ति जिनको विशिष्टियां नीचे कालम (5) से (7) में दी गई हैं, इस दल का प्रतिस्थापित प्रत्याशी है जो अनुमोदित प्रत्याशी के नामांकनों की स्वीक्षां में नामांकन रदद होने पर अथवा उसके चुनाव लड़ने से नाम वापिस लेने पर, चुनाव में प्रवेश करेगा यदि प्रतिस्थापित प्रत्याशी चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी अभी भी है।

वार्ड का नाम व संख्या	अनुमोदित प्रत्याशी का नाम	अनुमादित प्रत्याशी के पिता / पति का नाम	अनुमोदित प्रत्याशी का डाक का पता	प्रतिस्थापी, प्रत्याशी का नाम जो अनुमोदित प्रत्याशी के नामांकन की समीक्षा जांच के पश्चात् अस्वीकृत होने की स्थिति में या चुनाव लड़ने से नाम वापिस लेने पर चुनाव में प्रवेश करेगा यदि प्रतिस्थापित प्रत्याशी अभी भी	प्रत्याशी के पिता / पति	प्रतिस्थापी प्रत्याशी के घर का पता
(1)	(2)	(3)	(4)	चुनाव लड़ने वाला प्रत्याशी है।	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

स्थान :

दिनांक :

भवदीय अध्यक्ष / सचिव दल का नाम

(दल की मोहर)

टिप्पणी : यह प्रपत्र स्याही / बालपैन से हस्ताक्षरित किया जाए तथा छाप वाले हस्ताक्षर स्वीकार्य नहीं होंगे। यह प्रपत्र रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालयों में नामांकन भरने की अंतिम तिथि को अपराह्न 3.00 बजे तक निश्चित रूप से प्रस्तुत कर दिया जाए इस प्रपत्र की फोटोस्टेट प्रति भी स्वीकार्य होगी यदि वह राष्ट्रीय / राज्य राजनैतिक दल के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा स्याही / बॉल पैन से हस्ताक्षरित होगी। यदि राष्ट्रीय / राज्य के राजनैतिक दल के मुख्य प्रत्याशी का नामांकन पत्र स्वीकार हो जाएगा तो प्रतिस्थापित प्रत्याशी जिसका उल्लेख प्रपत्र के कॉलम–5, 6 व 7 में दिया गया है, के नामांकन पत्र रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अस्वीकार कर दिए जाएंगे।

<u>राष्ट्रीय दल</u> सारणी–1

क्रम सं.	राष्ट्रीय दल	आरक्षित प्रतीक	पता
1.	2.	3.	4.
1.	ऑल इण्डिया तृणमूल काँग्रेस	पुष्प और तृण	30—बी, हरीश चटर्जी स्ट्रीट, कोलकाता—700026, पश्चिम बंगाल।
2.	बहुजन समाज पार्टी	हाथी सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में (असम राज्य का छोड़कर जहाँ इनके अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा निर्धारित मुक्त निर्वाचन प्रतीकों की सूची से कोई एक प्रतीक चुनना पड़ेगा)	4, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली—110001.
3.	भारतीय जनता पार्टी	कमल	11, अशोक रोड, नई दिल्ली—110001.
4.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया	बाल और हाँसिया	अजय भवन, कोटला मार्ग, नई दिल्ली—110002.
5.	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सिस्ट)	हथौड़ा, हाँसिया और सितारा	ए.के. गोपालन भवन, 27—29, भाई वीर सिंह मार्ग, (गोल मार्किट), नई दिल्ली—110001.
6.	इंडियन नेशनल काँग्रेस	हाथ	24, अकबर रोड, नई दिल्ली—110011.
7.	नेशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी	घड़ी	10, बिशम्बर दास मार्ग, नई दिल्ली—110001.

सारणी—II राज्यीय दल

क्रम	राज्य/संघ राज्य	राज्यीय दल का प्रतीक	आरक्षित	पता
संख्या	क्षेत्र का नाम		प्रतीक	
1.	2.	3.	4.	5.
1.	आन्ध्र प्रदेश	1. तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं0 8—2—220 / 110 / 1 / 3, रोड
				नं. 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद,
				आन्ध्र प्रदेश।
		2. तेलुगु देशम	साइकिल	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस,
				एन0 टी0 आर0, भवन रोड, नं0—2, बंजारा
				हिल्स, हैदराबाद—500033, (आन्ध्र प्रदेश)।
		3. युवजन श्रमिक रायथू	छत का पंखा	मकान नं. 8—2—269 / एस / 98,
		काँग्रेस पार्टी		सागर सोसाइटी, रोड नं. 2,
				बंजारा हिल्स, हैदराबाद—34, आन्ध्र प्रदेश।
2.	अरुणाचल प्रदेश	1. पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल	मक्का	के, रिन्गु कॉम्पलेक्स, जी–एक्सटेंशन रोड,
				नहारलगुन—791110 अरुणाचल प्रदेश।
3.	असम	1. ऑल इण्डिया यूनायटेड	ताला और	नं. ३, फ्रेन्डस पथ, हातिगांव,
		डेमोकेटिक फ्रंट	चाबी	गुवाहाटी—781038 (असम)

		2. असम गण परिषद्	हाथी	मुख्य कार्यालयः गोपीनाथ बोरदोलाई रोड,
				गुवाहाटी—781001 (असम)
		3. बोडोलैण्ड पीपल्स फ्रंट	नांगोल	मुख्य कार्यालय कोकराझार,
				बी.टी.सी. पो.ऑ. कोकराझार,
				असम पिन—783370
4. बिहार		1. जनता दल (यूनायटेड)	तीर	7, जन्तर मंतर रोड, नई दिल्ली—
				110001.
		2. लोक जन शक्ति पार्टी	बंगला	12, जनपथ,
				नई दिल्ली—110011.
		3. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13. वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग,
		^		नई दिल्ली—110001.
	-	4. राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	छत का पंखा	मौजा–ढक्क्नपुरा, मोहल्ला–
			191	मोहनपुर पुनाईचक, नियर
				हडताली मोड, बोरिंग कनाल रोड,
				पटना–1, बिहार।
5. गोवा		1. महाराष्ट्रवादी गोमांतक	शेर	प्लैट नं0. 102 ब्लॉक—1,
J. 1191		ા. વલાપ્રજ્ઞાવા પાપાલળ	NIX	यलट न0. 102 ब्लाफ-1, डयुक्ल हेवेन, एस.टी. इनटेज
				पणजी–403001
		4 	=18111	
6. हरिया	VII	1. इंडियन नेशनल लोक दल	चश्मा	18, जनपथ,
_				नई दिल्ली—110011.
7. जम्मू	व कश्मीर	1. जम्मू एण्ड कश्मीर 	हल	1) शेर-ए-कश्मीर भवन रेजीडेंसी
		नेशनल काँफ्रेंस		रोड, जम्मू, (जम्मू व कश्मीर)।
				2) नवाई सुब्ह कम्पलेक्स, जीरो
	-			ब्रिज, श्रीनगर, (जम्मू व कश्मीर)।
		2. जम्मू एण्ड कश्मीर	साईकिल	17. वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई
	_	नेशनल पैंथर्स पार्टी		दिल्ली—110001.
		3. जम्मू एण्ड कश्मीर	स्याही की	2—इम्पोरियम लेन, रेसीडेन्सी रोड,
		पीपुल्स डेमोकेटिक पार्टी	दवात्	श्रीनगर।
			और कलम	
८. झारख	ण्ड	1. आजसु पार्टी	केला	पूर्णिमा टावर, द्वितीय तल, कमरा
				नं. 2ए, छगनलाल जैन धर्मशाला
				के सामने, लेक रोड, राँची,
				झारखण्ड— 834001.
		2. झारखण्ड मुक्ति मोर्चा	तीर–कमान	बैरियातू रोड, राँची–834008
		Ŭ		(झारखण्ड)।
		3. झारखण्ड विकास मोर्चा	कंघा	अतिथिशाला, मोरहाबादी, रांची, झारखण्ड।
		(प्रजातांत्रिक)	• ••	
		4. राष्ट्रीय जनता दल	लालटेन	13. वी.पी. हाऊस, रफी मार्ग, नई
				दिल्ली—110001
9. कर्नाट	क	1. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान	5, सफदरजंग लेन, नई दिल्ली–
			ले जाती हुई	110003.
		ı ı	O .	

		2. कर्नाटक जनता पक्ष	अभी आबंटित	#11,12 मेन, 17 क्रास,
		2. प्रभाटप्र अभिता पदा	नहीं हुआ।	#11,12 नेग, 17 प्रगत, मालेश्वरम, बैंगलूरू—560055
			101 goil 1	(कर्नाटक)
10	<u> </u>		A	,
10.	केरल	1. जनता दल (सेक्यूलर)	सिर पर धान ले जाती हुई	5, सफदरजंग लेन,
			कृषक महिला	नई दिल्ली—110003.
				-\\ 0 ~~~
		2. केरल काँग्रेस (एम)	दो पत्तियाँ	स्टेट कमेटी ऑफिस, फायर
				स्टेशन के पास, कोट्टायम,
				(केरल)।
		3. इंडियन यूनियन मुस्लिम	सीढ़ी	कायदे मिल्लत मंजिल, 36
		लीग		मारियाकयार लेब्बाई स्ट्रीट,
				चेन्नई–600001, तमिलनाडु।
		4. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट	फावड़ा एवं	37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद
		पार्टी	बेलचा	सारनी), कोलकाता—700016,
				पश्चिम बंगाल।
11.	महाराष्ट्र	1. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना	रेलवे इंजन	कृष्ण कुंज, एम. बी. राउत रोड,
				शिवाजी पार्क, मुंबई—400028,
				महाराष्ट्र ।
		2. शिवसेना	तीर–कमान	शिवसेना भवन, गडिकारी चौक,
				दादर, मुंबई-400028 (महाराष्ट्र)।
12.	मणिपुर	1. नागा पीपुल्स फ्रन्ट	मुर्गा	पोस्ट बॉक नं. 565, कोहिमा—
				७१७००१, नागालैण्ड।
		2. पीपुल्स डेमोक्रेटिक एलाइन्स	मुकुट	रागैलांग, इम्फाल—795001, मणिपुर।
13.	मेघालय	1. यूनायटेड डेमोकेटिक पार्टी	ड्रम	मालवाइ नोनगलाम, शिलांग— 793002
				(मेघालय)।
		2. हिल स्टेट पीपुल्स	शेर	केन्चस ट्रेश, लाबान, शिलांग— 739004
		डेमोकेटिक पार्टी		मेघालय।
		3. नेशनल पीपुल्स पार्टी	किताब	द्वितीय तल, एमडीयू बिल्डिंग
				एम. जी. एवेन्यू, इम्फाल—795001
				(मणिपुर)
14.	मिजोरम	1. मिजो नेशनल फंट	सितारा	जनरल हेडक्वाटर्स-जरकावत
				आइजॉल (मिजोरम)।
		2. मिजोरम पिपुल्स काँफ्रेस	बिजली का	जनरल हेडक्वाटर्स, ट्रेजरी स्कायर,
			बल्ब	आइजॉल—796001, (मिजोरम)।
		3. जोरम नेशनलिस्ट पार्टी	सूर्य (किरण	जनरल हेडक्वाटर्स, ट्रेजरी स्कायर,
			रहित)	आइजॉल—796001, (मिजोरम)।
15.	नागालैंड	1. नागा पीपुल्स फंट	मुर्गा	पोस्ट बॉक्स नं. 565, कोहिमा—
		.3	3	797001 (नागालैंड)।
16.	राष्ट्रीय राजधानी	1.आम आदमी पार्टी	झाडू	206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग,
15.	दिल्ली		<u>v</u>	नई दिल्ली—110002.
17.	उड़ीसा	1. बीजू जनता दल	शंख	नवीन निवास, एरोड्रम गेट,
17.	991/11	ા. લાળૂ ગંગલા વળ	राज	भुवने"वर–751009 (उड़ीसा)।
				- गुन्म पर—१३१००३ <i>(०७</i> १या)।

	1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	T • · · · · · · ·		
18.	पुडुचेरी	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड	दो पत्तियाँ	275, अब्वाई शणमुगम सलाई,
		मुन्नेत्र कड़गम		रोयापेट्टह, चेन्नई—600014,
				(तमिलनाडु)।
		2. ऑल इंडिया एन. आर.	जग	नं. 51, जे. जे. कॉम्पलेक्स, 100 फीट रोड,
		काँग्रेस		ईल्लापिल्लईचावड़ी,
				नेल्लीथोप पोस्ट, पुडुचेरी–605005।
		3. द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम', 268—269,
				अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई—
				600018, (तमिलनाडु)।
		4. पट्टालि मक्कल कॉची	आम	63, नाट्टू मुथू माइकेन स्ट्रीट,वनीया
				तेयनामपेट, चेन्नई—600018, तमिलनाडू।
19.	पंजाब	1. शिरोमणि अकाली दल	तराजू	बिल्डिंग नं. 6. सैक्टर 28 बी,
				मध्य मार्ग चंडीगढ—160028.
		2. आम आदमी पार्टी	झाडू	206, राउज एवेन्यू, डी.डी.यू. मार्ग,
				नई दिल्ली—110002.
20.	सिक्किम	1. सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रांट	छाता	अपर देवराली, गंगटोक पूर्व
				सिक्किम।
		2. सिक्किम क्रान्तिकारी	टेबल लैम्प	कवो ग्राउंड, पो० ऑ०, टैडोंग, पूर्व
		मोर्चा		सिक्किम, सिक्किम–737102
21.	तमिलनाडु	1. ऑल इंडिया अन्ना द्रविड्	दो पत्तियाँ	275, आव्याई षणमुगम सलाई,
21.	diriet ing	मुन्नेत्र कड़गम	या नाराचा	रोयापेट्टाह, चेन्नई-600014.
		3 121 37 9 1 1		(तमिलनाडु)।
		2. द्रविड् मुन्नेत्र कड्गम	उदीयमान सूर्य	'अन्ना अरिवालयम' 268—269,
		2. 1140 3 17 4011		अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई—
				600018 (तमिलनाडु)।
		3. देसिया मुरपोक्कु द्रविड्	नगाड़ा	125 / 7, जवाहरलाल नेहरू सलाई
			1,1161	(100 फीट रोड) कोयमबेदु,
		कहंगम		चेन्नई–600107, तमिलनाडु।
22	तेलंगाना	1. ऑल इंडिया मजलिस–ए–	पतंग	दारूरसलाम बोर्ड, हैदराबाद
22.	तलगाना	ा. आल इाड्या नजालस—ए— इत्तेहादुल मुस्लिमीन	पराग	(तेलंगाना).
				,
		2. तेलंगाना राष्ट्र समिति	कार	मकान नं—8—2—220 / 110 / 1 / 3, रोड नं 14, बंजारा हिल्स, हैदराबाद,
				विलंगाना.
		2 नेना नेका	साइकिल	
		3. तेलुगु देशम	শাহাক্ত	तेलुगु देशम पार्टी ऑफिस,
				एन.टी.आर. भवन, रोड नं 2, बंजारा हिल्स, हैदराबाद—500033
				(आंध्र प्रदेश).
		4. युवाजना श्रमिका रायथू	छत का पंखा	मकान नं. 8—2—269 / \$ / 98, रोड नं. 2,
		कांग्रेस पार्टी		बंजारा हिल्स, हैदराबाद–34,
			<u> </u>	आन्ध्र प्रदेश.
23.	उत्तर प्रदेश	1. राष्ट्रीय लोक दल	हैंड पम्प	12-तुगलक रोड, नई दिल्ली- 110011.
		2. समाजवादी पार्टी	साइकिल	18, कोपरनिकस लेन,
				नई दिल्ली।

24.	पश्चिम बंगाल	1. ऑल इंडिया फॉरवार्ड	शेर	नेताजी भवन, टी-2235 / 2,
		ब्लॉक		अशोक नगर, फैज रोड, करोल बाग,
				नई दिल्ली—110005.
		2. रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट	फावड़ा और	37, रिपन स्ट्रीट (मुजफ्फर अहमद
		पार्टी	बेचला	सरनी), कोलकाता—700016,
				(पश्चिम बंगाल)।

सारणी—III (मुक्त प्रतीकों की सूची)

 पुअरक्शिन्तर अंटो-रिक्शा (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) मंथी वींकर पुबारा		(1) THE PROPERTY OF THE PARTY O
3. ऑटोिरक्शा (आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 4. बेबी वॉकर 5. गुलार 6. जूडियाँ 7. फलों से युक्त टोकरी (तिमितनाड़ राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 8. बल्ला 9. बल्लेबाज 10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्म 15. तूरबीन 16. विस्कृट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आवमी व पाल युक्त नीका 19. बोलल 20. बक्सा 21. इल रोटी 22. ईंटें 23. ब्रीफकेस 24. बुश 26. केक 27. कैक्नुलेटर 28. केमर 39. पोमवित्तयों 31. शिमला मिर्च 32. कार्पट	1.	एअरकंडीरनर
(आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों को छोडकर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 4. बेबी वॉकर 5. गुब्बार 6. चूडिखाँ 7. फलों से युक्त टोकरी (तिमलाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 8. बल्लो वाज 10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. चूरबीन 16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. इंटें 23. श्रीफकेस 24. शुष्ठ 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कुलेटर 28. केमरा 29. केन 30. मोमबलियाँ 31. शिमला निर्च 32. कार्पट 33. बेरम बोर्ड 44. एक्रगोमी 35. जंजीर	2.	अलमारी
4. बेबी वॉकर 5. गुजारा 6. पूडियाँ 7. फलों से युक्त टोकरी (तिमतनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 8. बल्ला 9. बल्लेबाज 10. बैटरी टार्च 11. मीतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकित पम्प स्त्रीत 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतला 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. इंटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुग 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कूलेटर 28. केमरा 30. मोमबतियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पट 33. केएम बोर्ड 34. फूलगोगी 35. जंजीर	3.	
6. चूडियाँ 7. फलों से युक्त टोकरी (तिमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 8. बल्ला 9. बल्लेबाज 10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का द्यार 12. बेल्च 14. साइकिल पम 15. दूरपीन 16. बिस्कृट 17. खेल बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोलल 20. बक्सा 21. जब्त रोटी इंटें यूडिया 23. बोफकेस 24. बुश 25. बाल्टी केक केक 26. केक 27. कैक्सेल 30. मोमबिसियों 31. शिमला फिर्च 32. कार्पेट 33. कुलगोमी 35. जंजीर		
6. चूडियाँ 7. फलों से युक्त टोकरी (तिमितनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 8. बल्ला 10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. दूरबीन 16. विस्कुट 17. व्लेक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. उबल रोटी 22. इंटे 23. ब्रीफक्केस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 26. केक 30. मोमबतियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कर्पर बोर्ड 33. बेरम बोर्ड 34. फुटुगोभी 35. जंजीर	4.	बेबी वॉकर
7. फलों से युक्त टोकरी (तिमलाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 8. बल्ला 10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. दूरवीन 16. बिरकुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. इंटें 23. ब्रीफकेस 24. बुश 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कुलेटर केल्क 30. मोमबित्यों 31. शिमला मिर्च 32. करंप बोर्ड 33. केरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जजीर	5.	
(तमिलनाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में) 8. बल्ला 9. बल्लेबाज 10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. दूरबीन 16. विरकुट 17. ब्लेक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईंटें 23. ब्रीफकेस 24. बुश 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्क्लेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबितयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कॉप्ट वार्ड 33. केंप्र बोर्ड 34. फूलगोपी 35. जंजीर	6.	
8. बल्ला 9. बल्लेबाज 10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेल्च 14. साइकेल पम्म 15. दूरबीन 16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. इंटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबित्याँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर	7.	फलों से युक्त टोकरी
9. बल्लेबाज 10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. दूरबीन 16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईटं 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबित्तयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर		
10. बैटरी टार्च 11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. दूरबीन 16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. इंटें 23. ब्रीफकेस 24. बुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. केन 30. मोमबित्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पट 33. केरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर	8.	
11. मोतियों का हार 12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. दूरबीन 16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियों 31. शिमला मिर्च 32. कार्यट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर	9.	
12. बेल्ट 13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. दूरबीन 16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईंटे 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कूलेटर 28. केमरा 29. केन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. केरम बोर्ड 34. पूलगोमी 35. जंजीर	10.	
13. बेन्च 14. साइकिल पम्प 15. दूरबीन 16. बिस्सुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. उबल रोटी 22. ईंटे 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पट 33. केरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर	11.	
14. साइकिल पम्प 15. दूरबीन 16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर	12.	
15. दूरबीन 16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईंटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	13.	
16. बिस्कुट 17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईटें 23. बीफकेस 24. बुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	14.	
17. ब्लैक बोर्ड 18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईंटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कूलेटर 28. केमरा 29. केन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. केरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	15.	
18. आदमी व पाल युक्त नौका 19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईंटे 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबितयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्यट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	16.	बिस्कुट
19. बोतल 20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईटें 23. ब्रीफ्केस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबित्तयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर	17.	
20. बक्सा 21. डबल रोटी 22. ईंटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कूलेटर 28. केमरा 29. केन 30. मोमबित्तयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. केरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	18.	
21. डबल रोटी 22. ईटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कॉपेंट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	19.	बोतल
22. ईंटें 23. ब्रीफकेस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कूलेटर 28. केमरा 29. केन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. केरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर	20.	
23. ब्रीफकेंस 24. ब्रुश 25. बाल्टी 26. केंक 27. केंल्कूलेटर 28. कैमरा 29. केंन 30. मोमबित्तयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	21.	
24. बुश 25. बाल्टी 26. केक 27. केल्कूलेटर 28. कैमरा 29. केन 30. मोमबित्तयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	22.	
25. बाल्टी 26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबित्तयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोमी 35. जंजीर	23.	ब्रीफकेस
26. केक 27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	24.	
27. कैल्कूलेटर 28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	25.	
28. कैमरा 29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	26.	
29. कैन 30. मोमबत्तियाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	27.	
30. मोमबित्तयाँ 31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	28.	
31. शिमला मिर्च 32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	29.	
32. कार्पेट 33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	30.	
33. कैरम बोर्ड 34. फूलगोभी 35. जंजीर	31.	
34. फूलगोभी 35. जंजीर	32.	
35. जंजीर	33.	
	34.	
36. चक्की	35.	
	36.	चक्की

37.	चपाती रोलर
38.	चप्पलें
39.	शतरंज बोर्ड
40.	चिमनी
41.	चिमटी
42.	कोट
43.	नारियल
44.	नारियल फार्म
45.	कलर ट्रे और ब्रुश
46.	चारपाई
	(केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
47.	क्रेन
48.	घन
49.	कप और प्लेट
50.	कटिंग प्लायर
51.	दाव
52.	हीरा
53.	डीजल पम्प
54.	डिश एंटिना
55.	डोली
56.	द्वार घंटी
57.	ड्रिल मशीन
58.	डम्बल्स
59.	बिजली का खंभा
60.	लिफाफा
61.	एक्सटेंशन बोर्ड
62.	बाँसुरी
63.	फव्यारा
64.	<u> फ्राक</u>
65.	फ्राइंग पैन
66.	कीप
67.	गैस सिलेण्डर
68.	गैस का चूल्हा
69.	उपहार
70.	काँच का गिलास
71.	ग्लोब
72.	ग्रामोफोन
73.	अंगूर
74.	हरी मिर्च
75.	हारमोनियम
76.	टोप
	(आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना राज्यों का छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
77.	हेडफोन
78.	हेलमेट
79.	हाकी और बाल
80.	आइस क्रीम
	(तमिल नाडु राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
81.	पानी गरम करने की रॉड

82.	प्रेस
83.	भिंडी
	कुन्डी
	लैटर बाक्स
	लाइटर
87.	लन्च बॉक्स
88.	माचिस की डिब्बी
89.	माईक
	मिक्सी
91.	नेल कटर
	गले की टाई
93.	नूडल्स कटोरा
94.	कड़ाही
95.	पैंट
96.	मूँगफली
97.	नाशपाती
	(तमिल नाडु व पुदुचेरी को छोड़कर)
	मटर
	कलम की निब सात किरणों के साथ
	पैन–स्टैण्ड
	पेन्सिल डिब्बा
	पेन्सिल शार्पनर
	पेन्डुलम
104.	मूसल और खरल
	पेट्रोल पम्प
	फोन चार्जर
	तिकया
	अनानास
	करनी
	खाने से भरी थाली
	प्लेट स्टैण्ड
	हान्डी
	प्रैशर कुकर
	पंचिंग मशीन
	रेजर
	रेफ्रिजरेटर
	अंगुठी
	रोड रोलर
	रूम कूलर
	रूम हीटर
	सेप्टी पिन
122.	आरी (केरल राज्य को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में)
123.	स्कूल का बस्ता
124.	केंची
125.	सिलाई की मशीन
126.	जूता
127.	कूदने की रस्सी

128.	स्लेट
129.	साबुनदानी
130.	जुराबें
131.	- इ · स्टैपलर
132.	- स्टैथोस्कोप
133.	स्टूल
134.	इ _{र्} ला
135.	सिरिन्ज
136.	मेज
137.	चाय छलनी
138.	टेलीफोन
139.	टेलीविजन
140.	टैनिस बल्ला व गेंद
141.	टैन्ट
142.	टीलर
143.	टॉफियाँ
144.	दाँत ब्रुश
145.	ट्रथपेस्ट
146.	ट्रैक्टर चलाता किसान ट्रे
147.	द्रे
148.	त्रिभुज
149.	ट्रक
150.	तुरही
151.	टाईपमशीन
152.	टायर
153.	वैक्यूम क्लीनर
154.	वायलिन
155.	छड़ी
156.	दीवार खूंटी
157.	बटुआ
158.	अखरोट
159.	तरबूज़ कुआँ
160.	कुआ
161.	हाथ रेहडी
162.	सीटी
163.	खिड़की
164.	ऊन व सिलाई

STATE ELECTION COMMISSION ORDER

Delhi, the 14th March, 2017

No. F. 4(216)/OSDI/legal/SEC/2017/7887.—Whereas the superintendence, direction and control of elections to three Municipal Corporations of Delhi viz. North Delhi, South Delhi and East Delhi are vested in the State Election Commissioner of NCT of Delhi *vide* Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011;

And whereas it is necessary to provide for the choice and allotment of symbols to the contesting candidates sponsored by political parties (National and State) and to the independent candidates for election to three Municipal Corporations in the National Capital Territory of Delhi *viz*. North Delhi, South Delhi and East Delhi;

Now, therefore in exercise of the powers conferred on him under Section 7 of the Delhi Municipal Corporation Act 1957, (hereinafter referred to as the 'ACT') read with Rule 15 of the Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (hereinafter referred to as 'Rules') and all other provisions enabling it in this behalf and in supersession of all its earlier Notifications, the State Election Commissioner of the National Capital Territory of Delhi hereby makes the following order:-

1. Short Title, Application and Commencement:

This order will be called the "Municipal Corporation of Delhi Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 2017". It extends to the whole areas of the three Municipal Corporations of Delhi viz. North Delhi, South Delhi and East Delhi in the NCT of Delhi and applies in relation to elections to the wards of the said three Municipal Corporations of Delhi to be held hereafter.

It shall come into force on the date of its publication in the Gazette of NCT of Delhi.

2. Definitions, Interpretation:

- (a) In this order, unless the context otherwise requires, the words 'the Commission' means the State Election Commission of the National Capital Territory of Delhi.
- (b) "A Municipal Corporation of Delhi" means any of the three Municipal Corporations of Delhi viz. North Delhi, South Delhi and East Delhi;
- (c) The 'ward' means a Ward of a Municipal Corporation of the NCT of Delhi.
- (d) 'National Party' means a party recognized by the Election Commission of India as such under section 29-A of the Representation of the People Act, 1951, to which a reserved symbol has been allotted for election to Lok Sabha/ Assembly Constituency in the NCT of Delhi by Election Commission of India.
- (e) Delhi State Party means a State Party recognized by the Election Commission of India for N.C.T. of Delhi under section 29-A of the Representation of the People Act, 1951 to which a reserved symbol is allotted for election to Lok Sabha/Assembly Constituency from NCT of Delhi.
- (f) Other 'State Party' means a party recognized by the Election Commission of India in a State or States (Other than N.C.T. of Delhi) under section 29-A of the Representation of the People Act, 1951 to which a reserved symbol is allotted for election to Lok Sabha/Assembly Constituency in that State or States.
- (g) 'Act' means The Delhi Municipal Corporation Act, 1957 as amended by the Delhi Municipal Corporation (Amendment) Act, 2011
- (h) 'Rules means Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012;

3. Recognition of National and State parties:

- (a) The National Parties for National Capital Territory of Delhi as recognized for the time being by the Election Commission of India in respect of election to Lok Sabha / Legislative Assembly in the National Capital Territory of Delhi, under section 29-A of the Representation of the People Act, 1951 and as per Symbol Orders of Election Commission of India vide Notification No. 56/2016/PPS-III dated the 13.12.2016 and amended by the E.C.I. notification No.56/2017/PPS-III dated 11.1.2017 are hereby recognized as such by this Commission for purposes of elections to the above said three Municipal Corporations of the National Capital Territory of Delhi to be held hereafter.
- (b) The Commission hereby adopts for the National Parties those very symbols which are reserved for these parties by the Election Commission of India and not any other symbol.
- (c) The facsimiles of the symbols reserved for the National Parties for National Capital Territory of Delhi (in size and shape) as prescribed for elections to Lok Sabha/Assembly in the National Capital Territory of Delhi by the Election Commission of India as well as those prescribed for other candidates (independents) are adopted and prescribed as such by this Commission for purposes of the elections to the three Municipal Corporations of Delhi, to be held hereafter. The names of such National Parties and symbols prescribed for them are mentioned in Table-I of Schedule-I annexed.

- (d) "Aam Aadmi Party" is recognized for N.C.T. of Delhi by the Election Commission of India as 'Delhi State Party' and Symbol allotted to this party is "Broom".
- (e) A list of 'free symbols' to be chosen by other candidates (independents) is contained in Table-III in the Schedule-I.

4. Choice of Symbol by candidates of National and State Parties and allotment thereof:

- (a) For every contested election of a Municipal Corporation of Delhi, a symbol shall be allotted to each contesting candidate in accordance with the provisions of the said Rules, this Order and the instructions issued by the Commission from time to time in this regard.
- (b) A candidate set up by a National Party and Delhi State Party at an election to a ward of Municipal Corporation of Delhi shall choose, and shall be allotted, the symbol reserved for that party by Election Commission of India and no other symbol.
- (c) If a candidate set up by a State Party other than Delhi State Party (N.C.T. of Delhi) to contest election to a ward of a Municipal Corporation of Delhi which party is not recognized in the National Capital Territory of Delhi under the Representation of People Act 1951 by Election Commission of India, intends to choose or chooses a symbol reserved for it in the State or States in which it is a recognized as 'State Party' (see schedule-I table-II) other than Delhi State Party then such candidate shall be allotted that symbol to the exclusion of any other candidate and no other symbol on fulfillment of each of the following conditions, namely:
 - (i) that an application is made to the Commission by the State Party for exclusive allotment of that symbol to the candidate set up by it at an election to a Municipal Corporation of Delhi not later than the third day after publication in the official gazette of the Notification calling the election;
 - (ii) that the said candidate has made a declaration in his nomination paper that he has been set up by that party at the election to a Municipal Corporation of Delhi and that the party has also fulfilled the requirements of clauses (b),(c),(d), & (e) of paragraph 5 of this Order;
 - (iii) that, in the opinion of the Commission, there is no reasonable ground for refusing the application for such allotment.
 - (iv) In case more than one State Parties having the same 'reserve' symbol as per Election Commission of India's order, choose the 'reserve' symbol it shall be allotted to a candidate of a State Party by draw of lot and in no other manner. All or any other State Party whose candidate does not get the 'reserve' symbol as explained above shall be allotted a 'free symbol' by the Returning Officer in preference to the independent candidates.
 - (v) Candidates sponsored by National Parties & Delhi State Party will have to file nomination paper with one proposer and their choice of symbol to be indicated in the nomination paper(s) shall be restricted to the Symbol reserved for it by the Election Commission of India.
 - (vi) Candidates sponsored by such State Parties (other than Delhi State Party) will have to file nomination papers with ten proposers and their choice of symbol to be indicated in the nomination paper(s) shall be restricted to the symbol reserved for it in the State or States in which it is so recognized by the Election Commission of India.
- (d) The candidates belonging to unrecognized parties registered by Election Commission of India shall be treated as independent candidates for all purposes including number of proposers required i.e. 10 proposers of the ward to which the nomination is filed and for allotment of symbols. They shall not be given any preference over other independent candidates in allotment of free symbols or allotment of only one free symbol to all its candidates in any of a Municipal Corporation of Delhi.
- (e) (i) Any candidate at an election to a ward of a Municipal Corporation of Delhi other than a candidate set up by a National Party, Delhi State Party or State party (other than "Delhi State Party") i.e. Independent Candidate shall choose and shall be allotted in accordance with the provisions hereafter set out in this paragraph, one of the symbols specified as 'free symbols' as per this Order.
 - (ii) A different symbol to each contesting candidate will be allotted in conformity as far as practicable, with his choice as per three preferences mentioned in his/her nomination paper;

- (iii) If more contesting candidates than one have indicated their preference for same symbol, the Returning Officer shall decide by lot to which of such candidates the symbol will be allotted.
- (iv) Other contesting candidates not covered in (ii) or (iii) above, can be allotted a symbol out of list of left out symbols as per their choice as far as practicable.

If a candidate still insists to have a symbol out of his three preferences only, as given by him in his first nomination paper, allotted and he refuses to give his choice for any other symbol left out in that ward, the Returning Officer shall allot him a 'free symbol' out of the remaining symbols and his decision in this context shall be final unless action of the Returning Officer is contrary to the foregoing direction.

5. Authorization by National and State Parties for allotment of Symbols :

- (a) For the purpose of this Order, a candidate shall be deemed to have been set up by a recognized political party if and only if the candidate has made a declaration to that effect in the nomination paper filed by him/her.
- (b) The candidate or substitute candidate has chosen only the 'reserved' symbol of his party in his/her nomination paper filed and no 'other symbol'.
- (c) A notice in Form 'B' of setting up the candidate has been delivered not later than 3.00 P.M. on the last day of filing nomination, in writing, to the Returning Officer of the ward to which the candidate is contesting and State Election Commission of NCT Delhi by the party concerned.
- (d) The above said notice is signed by a person authorized in Form 'A' by the President or the Secretary of the party, in ink. Facsimile signatures shall not be accepted. Similarly fax, Photostat, cyclostyled copy of such forms i.e. (form A & B) are also acceptable if the same is signed by the authorized person of the National/State Political Party in ink/ball pen.
- (e) The name and specimen signature of such authorized person in Form A are communicated to the Returning Officer concerned and the State Election Commission of the NCT Delhi not later than 3.00 P.M. on the last date fixed for filing nominations.
- (f) Any subsequent authorization by a National or State Party canceling or substituting the earlier authorization in Form 'B' shall be sent to the Returning Officer concerned and the State Election Commission of NCT of Delhi also so as to be received by the Commission and the concerned Returning Officer not later than 3.00 P.M. on the last date for making nomination. Such subsequent authorization in Form 'B' is to be signed by the authorized Office bearer whose name has been duly intimated in Form 'A' and is to be unambiguous and clearly showing that it either cancels or substitutes the earlier authorization, as the case may be.
- (g) If more than one notice in Form 'B' are received by the Returning Officer/Commission in respect of two or more candidates in a ward from the same political party and that political party fails to indicate in such notices in Form 'B' that one of these notices is cancelled or supersedes all other previous notices, the Returning Officer shall accept the notice in Form 'B' in respect of that candidate whose Nomination Paper was first delivered to him, and the remaining candidates in respect of whom also notices in Form 'B' have been received by him, shall not be treated as candidates set up by such political party and their nomination(s) shall also be rejected
- (h) Form 'A' and 'B', as applicable, are prescribed as in Schedule II with this order.

6. Power of Commission to issue instructions and directions:

The Commission may issue instructions and directions –

- (a) for clarification of any of the provisions of this order.
- (b) for the removal of any difficulty or doubt which may arise in relation to the implementation of any such provisions, and
- (c) in relation to any matter with respect to the reservation and allotment of symbols and recognition of political parties, for which this order makes no provision or makes insufficient provision, and provision is, in the opinion of the Commission, necessary for the smooth and orderly conduct of elections.

Seal of Office:

SCHEDULE - II

FROM 'A'

COMMUNICATION REGARDING PERSONS AUTHORISED TO INTIMATE NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE NATIONAL/STATE POLITICAL PARTY

(See Para 5 of the election Symbols (Reservation & Allotment) Order, 2012 as issued by the State Election Commission of NCT of Delhi)

То			
1. The State Election C	ommissioner,		
N.C.T. of Delhi,			
Nigam Bhawan, Kas	hmere Gate, Delhi-110006		
The Returning Of Corporation.	ficer for the	_Ward of North Delhi/South Delhi/East Delhi	Municipal
	cipal Corporations viz. North Authorisation of person to int	Delhi/South Delhi/East Delhi Municipal Co imate names of candidates	rporation-
Sir,			
Order made there-under by the person(s) has/have been au	State Election Commission of athorized by the party, w	ion (Election of Councillors) Rules, 2012 and NCT of Delhi. I hereby communicate that the hich is a National Party/State Political tes proposed to be set up by the party at the election of t	e following Party is
Name of person authorized to send notice	Name of office held in the party	Name & Number of Municipal Wards in respect of which he has been authorized	
2. The specimen signatures of the 1. Specimen signatures of Shri (i)	i	······································	
(i)			
(iii)			
3. Specimen signatures of Shri			
(i)			
(ii)			
(iii)			
Place :		Yours	faithfully
Date :		Presiden	

FORM 'B'

NOTICE AS TO NAMES OF CANDIDATES SET UP BY THE POLTICAL PARTY

(See para 5 of the Election Symbols (Reservation & Allotment) Order, $2012\,$

Of State Election Commission of N.C.T. of Delhi

To						
1.	The State Election Commission of N.C.T. of Delhi,					
	Nigam Bhawan, Kashmere Gate, Delhi-110006					
2.	The Returni	ng Officer for the				
		Ward of	· 	Municipal Corporation	of Delhi.	
Sub:	Election to Municipal Corporation of Delhi, 2017 –Setting up of candidate					
Sir,						
notice the candidate will step	In pursuance of Rule 15 of Delhi Municipal Corporation (Election of Councillors) Rules, 2012 (as amended up-to-date) and the Symbol Order made there- under by the State Election Commission of NCT of Delhi. I hereby give notice that the following persons named in column 2 to 4 have been set up by(National/State) Party as its candidates at the ensuing General Election to Municipal Corporation of Delhi from the Ward noted against each: The persons whose particulars are mentioned in Col. 5 to 7 below is the substitute candidate of the party, who will step-in on the approved candidates nomination being rejected on scrutiny or on his withdrawal from the contest, if the substitute candidate is still a contesting candidate.				I hereby give Party as its each:- e party, who	
No. & Name of the ward And the Name of Mpl. Corpora- tion	Name of the approved candidate	Father's/Husband Name of approved Candidate	Postal Address of approved candidate	Name of the substitute candidate (who will step in on the approved candidate's nomination being rejected of scrutiny or his withdrawal from the contest if the substitute candidate in still a contesting candidate	Father's/ Husband's name of substitute candidate	Postal Address of substitute candidate
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Yours faithfully,						
Place : _						
Date :		_		(Name and signature of the	ne authorized persor Seal of Office	of the party)
	(Thi	s form shall be sign	ed in Ink/Ball r	oen and no facsimile signature w	vill be accepted.)	

(This form shart be signed in hik/ban pen and no facsimile signature will be accepted.)

This must be delivered to the State Election Commission and Returning Officers concerned by 3.00 p.m on the last date for nominations: Photostat copy of this form may be accepted only if it is signed by the Authorised Person of the National/State Party in ink/with Ball Pen only.

In case the nomination paper of the main candidate of a National / State Party is accepted, the nomination paper filed by substitute candidate mentioned in Col. 5, 6, 7 shall be rejected by the Returning Officer.

(Seal of the Party)

TABLE-I NATIONAL PARTIES

Sl. No.	Name of the party	Symbol reserved	Address
1.	2.	3.	4.
1.	All India Trinamool Congress	Flowers & Grass	30-B, Harish Chatterjee Street, Kolkata-700026 (West Bangal)
2.	Bahujan Samaj party	Elephant [In all States/U.T.s except in the State of Assam, where its candidates will have to choose a symbol from out of the list of free symbols specified by the Commission]	4, Gurudwara Rakabganj Road, New Delhi-110001.
3.	Bharatiya Janata Party	Lotus	11, Ashoka Road, New Delhi-110001.
4.	Communist Party of India	Ears of Corn and Sickle	Ajoy Bhawan, Kotla Marg, New Delhi-110002.
5.	Communist Party of India (Marxist)	Hammer,Sickle and Star	A.K.Gopalan Bhawan, 27-29, Bhai Vir Singh Marg (Gole Market), New Delhi-110001.
6.	Indian National Congress	Hand	24, Akbar Road, New Delhi-110001.
7.	Nationalist Congress Party	Clock	10, Bishambhar Das Marg, New Delhi-110001.

TABLE-II STATE PARTIES

Sl. No.	Name of the State/Union Territory	Name of the State Party	Symbol Reserved	Address
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Andhra Pradesh	1.Telengana Rashtra Samithi	Car	House No.8-2- 220/110/1/3, Road No. 14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.
		2. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh)
		3. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-34, Andhra Pradesh
2.	Arunachal Pradesh	1.People's Party of Arunachal	Maize	K.Ringu Complex, G-Extension Road, Naharlagun-791110 (Arunachal Pradesh)

		T 1 0	N OF L D L
	India United	Lock &	No.3 Friends Path,
Dem	ocratic Front	Key	Hatigaon,
			Guwahati-781038
			(Assam).
2. Asc	m Gana Parishad	Elephant	Head Office:-
			Gopinath Bordoloi Road,
			Guwahati-781001
			(Assam).
3. Boo	oland Peoples Front	Nangol	Head Office Kokrajhar,
		8	B.T.C., P.OKokrajhar,
			Distt. Kokrajhar,
			Assam, Pin-783370.
4. Bihar 1. Jana	ata Dal (United)	Arrow	7,Jantar Mantar Road,
4. Dilidi 1. Jana	ita Dai (Officu)	Allow	New Delhi-110001.
2.7.1	I OLICE	D 1	
2. Lok	Jan Shakti Party	Bungalow	12, Janpath,
			New Delhi-110011.
3. Ras	htriya Janata Dal	Hurricane	13, V.P, House,
		Lamp	Rafi Marg,
			New Delhi-110001.
4. Ras	htriya Lok Samta Party	Ceiling	Mouza- Dhkkanpura,
		Fan	Mohalla-Mohanpur
			Punaichak
			(Near Hartali Morh),
			Boring Kainal Road,
			Patna-1, Bihar.
5. Goa 1. Mal	narashtrawadi Gomantak	Lion	Flat No.102, Block-1,
3. 300	iarushiru waar Gomaniuk	Lion	Dukle Heaven,
			ST-Inez,
			Panaji-403001.
(II 1.1.1	N.C. II.I.D.I	G 4 1	•
6. Haryana 1. Indi	an National Lok Dal	Spectacles	18,Janpath,
			New Delhi-110011.
	mu& Kashmir	Plough	(i) Sher-e-Kashmir
Nation	al Conference		Bhavan, Residency Road,
			Jammu (J&K)
			(ii) Nawai Subh Complex,
			Zero Bridge, Srinagar (J&K).
2. Jan	mu & Kashmir	Bicycle	17, V.P. House,
Nation	al Panthers Party		Rafi Marg,
			New Delhi-110001.
3. Jarr	mu and Kashmir	Ink Pot &	2-Emporium Lane,
	es Democratic Party	Pen	Residency Road, Srinagar
	U Party	Banana	Poornima Tower,
o. marking 1. Ass		Dunana	2 nd Floor, Room No. 2A,
			Opp. Chhaganlal jain,
			Dhramshala, Lake Road,
			Ranchi,
			Jharkhand-834001.
2 Ibo	khand Mukti Morcha	Bow &	Bariatu Road,
Z. Jna	KHAHU WIUKU WIOICHA	Arrow	Ranchi-834008(Jharkhand)
		7 11 1 O W	Nancin-054000(Jilai Kilailu)
2.7	1-1	C1	A 4141-1-1-1-3-# 1 11
	khand Vikas	Comb	Atithishala Morhavadi,
Morch	a (Prajatantrik)		Ranchi, Jharkhand
Morch		Comb Hurricane Lamp	

9.	Karnataka	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer Carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi-110003.
		2. Karnataka Jantha Paksha	Yet to be allotted	# 11, 12 th Main 17 th Cross, Malleshwaram, Bengaluru-560055. Karnataka
10.	Kerala	1. Janata Dal (Secular)	A Lady Farmer Carrying Paddy on her head	5, Safdarjung Lane, New Delhi-110003
		2. Kerala Congress (M)	Two Leaves	State Committee Office, Near Fire Station, Kottayam (Kerala).
		3. Indian Union Muslim League	Ladder	Quaid-e-Millath Manzil, 36 Maraikayar Lebbai Street, Chennai-600001, Tamil Nadu.
		4. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata-700016 (West Bengal)
11.	Maharashtra	1. Maharashtra Navnirman Sena	Railway Engine	Krishna Kunj, M.B. Raut Road, Shivaji Park, Mumbai-400028, (Maharashta)
		2. Shiv Sena	Bow and Arrow	Shivsena Bhavan, Gadkari Chowk, Dadar, Mumbai-400028 (Maharashtra).
12.	Manipur	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No. 565, Kohima-797001, Nagaland.
		2. People's Democratic Alliance	Crown	Ragailong, Imphal-793008, Manipur.
13.	Meghalaya	1. United Democratic Party	Drum	Mawlai Nonglum, Shillong-793008 (Meghalaya).
		2. Hill State People's Democratic Party	Lion	Kench's Trace, Laban, Shilong-739004. (Meghalaya)
		3.National People's Party	Book	2 nd Floor, MDU Building, M.G. Avenue, Imphal- 795001 (Manipur)
14.	Mizoram	1. Mizo National Front	Star	General Headquarters, Zarkawt, Aizawl (Mizoram).
		2. Mizoram People's Conference	Electric Bulb	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).

		3. Zoram National Party	Sun (without rays)	General Headquarters, Treasury Square, Aizawl-796001 (Mizoram).
15.	Nagaland	1. Naga Peoples Front	Cock	Post Box No.565, Kohima-797001, Nagaland.
16.	N.C.T. of Delhi	1. Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi-110002.
17.	Orissa	1. Biju Janata Dal	Conch	Naveen Niwas, Aerodrome Gate, Bhubaneswar-751009 (Orissa)
18.	Puducherry	All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600014 (Tamil Nadu).
		2. All India N.R. Congress	Jug	No.51, J.J. Complex, 100 Feet Road, Illapillaichavadi, Nellithope Post, Pudecherry-605005.
		3. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		4. Pattali Makkal Katchi	Mango	63, Nattu Muthu Naiken Street, Vanniya Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu)
19.	Punjab	1. Shiromani Akali Dal	Scales	Building No.6, Sector-28B, Madhya Marg, Chandigarh-160028.
		2.Aam Aadmi Party	Broom	206, Rause Avenue, DDU Marg, New Delhi-110002.
20.	Sikkim	Sikkim Democratic Front	Umbrella	Upper Deorali, Gongtok, East Sikkim.
		2. Sikkim Krantikari Morcha	Table Lamp	Convoy Ground, P.OTadong, Gangtok, East Sikkim, Sikkim-737102.
21.	Tamil Nadu	All India Anna Dravida Munnetra Kazhagam	Two Leaves	275, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600014 (Tamil Nadu).
		2. Dravida Munnetra Kazhagam	Rising Sun	'Anna Arivalayam' 268-269, Anna Salai, Teynampet, Chennai-600018 (Tamil Nadu).
		3. Desiya Murpokku Dravida Kazhagam	Nagara	125/7, Jawaharlal Nehru Salai (100 Ft. Road), Koyambedu, Chennai-600107, (Tamil Nadu).

22.	Telangana	All India Majlis-E-Ittehadul Muslimeen	Kite	Darussalam Board, Hyderabad (Andhra Pradesh).
		2. Telangana Rashtra Samithi	Car	House no.8-2-220/110/1/3, Road No. 14, Banjara Hills, Hyderabad, Andhra Pradesh.
		3. Telugu Desam	Bicycle	Telugu Desam Party Office, N.T.R. Bhavan, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-500033. (Andhra Pradesh).
		4. Yuvajana Sramika Rythu Congress Party	Ceiling Fan	H.No.8-2-269/S/98, Sagar Society, Road No.2, Banjara Hills, Hyderabad-34, Andhra Pradesh.
23.	Uttar Pradesh	1. Rashtriya Lok Dal	Hand Pump	12-Tughlak Road, New Delhi-110011.
		2. Samajwadi Party	Bicycle	18, Copernicus Lane, New Delhi.
24.	West Bengal	1. All India Forward Bloc	Lion	Netaji Bhavan, T-2235/2, Ashok Nagar, Faiz Road, Karol Bagh, New Delhi-110005
		2. Revolutionary Socialist Party	Spade & Stoker	37 Ripon Street (Muzaffar Ahmed Sarani), Kolkata- 700016 (West Bengal).

TABLE-III (LIST OF FREE SYMBOLS)

1	Air Conditions
1.	Air Conditioner
2.	Almirah
3.	Auto-Rickshaw
	(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)
4.	Baby Walker
5.	Balloon
6.	Bangles
7.	Basket containing Fruits
	(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu
8.	Bat
9.	Batsman
10.	Battery Torch
11.	Bead Necklace
12.	Belt
13.	Bench
14.	Bicycle Pump
15.	Binoculars
16.	Biscuit
17.	Black Board

18.	Boat with Man and Sail
19.	Bottle
20.	Box
21.	Bread
22.	Bricks
23.	Brief Case
24.	Brush
25.	Bucket
26.	Cake
27.	Calculator
28.	Camera
29.	Can
30.	Candles
31.	Capsicum
32.	Carpet
33.	Carrom Board
34.	Cauliflower
35.	Chain
36.	Chakki
37.	Chapati Roller
38.	Chappals
39.	Chess Board
40.	Chimney
41.	Clip
42.	Coat
43.	Coconut
44.	Coconut Farm
45.	Colour Tray & Brush
46.	Cot
	(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)
47.	Crane
48.	Cube
49.	Cup & Saucer
50.	Cutting Pliers
51.	Dao
52.	Diamond
53.	Diesel Pump
54.	Dish Antenna
55.	Dolli
56.	Door Bell
57.	Drill Machine
58.	Dumbbells
59.	Electric Pole
60.	Envelope
61.	Extension Board
62.	Flute
63.	Fountain
64.	Frock
65.	Frying Pan
66.	Funnel
67.	Gas Cylinder
68.	Gas Stove

69.	Gift Pack
70.	Glass Tumbler
71.	Globe
72.	Gramophone
73.	Grapes
74.	Green Chilli
75.	Harmonium
76.	Hat
	(In all States and Union Territories except in the States of Andhra Pradesh and Telangana)
77.	Head Phone
78.	Helmet
79.	Hockey and Ball
80.	Ice Cream
	(In all States and Union Territories except in the State of Tamil Nadu)
81.	Immersion Rod
82.	Iron
83.	Lady Finger
84.	Latch
85.	Letter Box
86.	Lighter
87.	Lunch Box
88.	Matchbox
89.	Mike
90.	Mixee
91.	Nail Cutter
92.	Neck Tie
93.	Noodles Bowl
94.	Pan
95.	Pants
96.	Peanuts
97.	Pears (F. 11) I.
98.	(Except in Tamil Nadu and Pudducherry) Peas
98.	
——	Pen Nib with Seven Rays
100. 101.	Pen Stand Pencil Box
101.	
102.	Pencil Sharpner Pendulum
103.	Pestle and Mortar
104.	Petrol Pump
106.	Phone Charger
100.	Pillow
107.	Pineapple
109.	Plastering Trowel
110.	Plate Containing Food
111.	Plate Stand
112.	Pot
113.	Pressure Cooker
114.	Punching Machine
115.	Razor
116.	Refrigerator Refrigerator
117.	Ring
11/.	<u> </u>

	DEEII GAZETTE : EATRAORDINART
118.	Road Roller
119.	Room Cooler
120.	Room Heater
121.	Safety Pin
122.	Saw
	(In all States and Union Territories except in the State of Kerala)
123.	School Bag
124.	Scissors
125.	Sewing Machine
126.	Shoe
127.	Skipping Rope
128.	Slate
129.	Soap Dish
130.	Socks
131.	Stapler
132.	Stethoscope
133.	Stool
134.	Swing
135.	Syringe
136.	Table
137.	Tea Filter
138.	Telephone
139.	Television
140.	Tennis Racket & Ball
141.	Tent
142.	Tiller
143.	Toffees
144.	Tooth Brush
145.	Tooth Paste
146.	Tractor Chalata Kisan
147.	Tray
148.	Triangle
149.	Truck
150.	Trumpet
151.	Typewriter
152.	Tyres
153.	Vacuum Cleaner
154.	Violin
155.	Walking Stick
156.	Wall Hook
157.	Wallet
158.	Walnut
159.	Water Melon
160.	Well
161.	Wheel Barrow
162.	Whistle
163.	Window
164.	Wool and Needle